

# भारत से पहले 29 देशों में न्यू ईयर

किरिबाती से लेकर अमेरिका तक जश्न



जश्न अलग-अलग समय पर शुरू होता है और इसका कारण है टाइम जोन सिस्टम. किरिबाती में सबसे पहले, अमेरिका में सबसे

आखिर में हुआ स्वागत दुनिया में नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. दुनिया के सबसे पूर्वी छोर पर बसे द्वीपीय देश किरिबाती

में रात 12 बजते ही नए साल ने दस्तक दे दी. किरिबाती भारत से 8 घंटे 30 मिनट पहले नए साल का स्वागत करता है.

नए साल की शुरुआत

किरिबाती के ठीक एक घंटे बाद न्यूजीलैंड में भी वर्ष 2026 की शुरुआत हो गई. न्यूजीलैंड भारत से 7 घंटे 30 मिनट आगे है, इसलिए वहां जश्न भारत से काफी पहले शुरू हो जाता है. वहीं, दूसरी ओर अमेरिका उन देशों में शामिल है जहां नया साल सबसे आखिर में आता है. अमेरिका में भारत से करीब 9 घंटे 30 मिनट बाद नए साल की शुरुआत होती है. टाइम जोन के अंतर के कारण दुनिया भर में नए साल का जश्न अलग-अलग समय पर शुरू होता है, जिससे पृथ्वी पर लगभग 26 घंटे तक न्यू ईयर सेलिब्रेशन चलता रहता है. धरती को 24 टाइम जोन में बांटा गया है.

## दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे के कारण 150 उड़ानें रद्द



दो डायवर्ट 400 से अधिक उड़ानें देरी से

नई दिल्ली, 31 दिसंबर. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह घने कोहरे के कारण 150 उड़ानें रद्द रहीं और दो को डायवर्ट करना पड़ा जबकि 400 से अधिक उड़ानों में विलंब की सूचना है. दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह 11 बजे तक दूसरे शहरों से दिल्ली आने वाली 79 और दिल्ली से प्रस्थान करने वाली 71 उड़ानें रद्द रहीं. वहीं, दो उड़ानों को दूसरे शहरों के लिए डायवर्ट भी करना पड़ा है. इनके अलावा, आगमन और प्रस्थान मिलाकर 400 से

अधिक उड़ानों में विलंब की सूचना है. मौसम विभाग के अनुसार, रात ढाई बजे के बाद हवाई अड्डे पर दृश्यता 600 मीटर से घटकर 50 मीटर रह गयी. सुबह नौ बजे के बाद दृश्यता में सुधार शुरू हुआ और दोपहर 12 बजे तक परिचालन सामान्य हो गया. हालांकि सुबह रहे कोहरे के कारण और उड़ानों में देरी हो सकती है. दिल्ली हवाई अड्डे ने एक्स पर बताया कि रात तीन बजे से उपकरण समर्थित सुविधा के तहत कैट-3 की प्रक्रिया में उड़ानों को परिचालन शुरू कर दिया.

## कल्याण-डोंबिवली ननि चुनाव में भाजपा ने खोला जीत का खाता

ठाणे, 31 दिसंबर. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कल्याण-डोंबिवली नगर निगम चुनाव में मतदान से पहले ही अपनी जीत का खाता खोल लिया है. और भाजपा उम्मीदवार रेखा चौधरी और सुश्री असावरी नवरे ने निर्वाचन जीत हासिल की है. रेखा चौधरी लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुई हैं, जबकि सुश्री असावरी नवरे पहली बार नगर निगम में प्रवेश कर रही हैं. सुश्री चौधरी वर्तमान में भाजपा कल्याण डिवीजन महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं. चुनाव अधिकारी वरुण कुमार सहारने ने पुष्टि की कि वार्ड नंबर 18(ए) की पिछड़ा वर्ग (महिला) आरक्षित सीट के लिए केवल एक नामांकन दाखिल किया गया था.

## 20,668 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

नासिक, अक्कलकोट में तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी

नासिक, 31 दिसंबर. केंद्रीय कैबिनेट ने आज महाराष्ट्र और ओडिशा में दो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिनकी कुल लागत 20,668 करोड़ है.

महाराष्ट्र में नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के तहत 374 किमी लंबा 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-कटोरेड हाईवे बनाया जाएगा. इस परियोजना से नासिक, सोलापुर, अक्कलकोट और अहिल्यानगर जैसे शहरों को तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी मिलेगी. यात्रा का समय 31 घंटे से घटकर 17 घंटे हो जाएगा. सड़क परियोजना टोलिंग मोड पर बनाई जाएगी और इसमें 100 किमी प्रति

घंटा की डिजाइन स्पीड के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी. इसके अलावा, ओडिशा के एनएच-326 को केएम 68.600 से केएम 311.700 तक चौड़ा और मजबूत किया जाएगा, जिससे दक्षिणी ओडिशा के गणपति, रायगड़ा और कोरापुट जिलों में बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी. इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि, लॉजिस्टिक्स दक्षता, रोजगार और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महाराष्ट्र और ओडिशा में दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, जिनकी कुल अनुमानित लागत 20,668 करोड़ रुपये है. महाराष्ट्र में 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर का निर्माण बीओटी (टोल) मोड पर किया.

यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-कटोरेड 6-लेन हाईवे नासिक, अहिल्यानगर, सोलापुर और अक्कलकोट को जोड़ने हुए पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. इस कॉरिडोर के निर्माण से यात्रा समय 31 घंटे से घटकर लगभग 17 घंटे रह जाएगा, जिससे यात्री और माल वाहक दोनों के लिए निर्बाध, तेज और सुरक्षित यात्रा संभव होगी. परियोजना का डिजाइन 100 किमी प्रति घंटे की गति के अनुरूप होगा, हालांकि औसत गति 60 किमी प्रति घंटे रहेगी. इस परियोजना से लगभग 251.06 लाख मैन-डे प्रत्यक्ष और 313.83 लाख मैन-डे अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.

## हवाई अड्डे पर 3.93 करोड़ रुपए मूल्य की हाइड्रोपोनिक वीड जल

डीआरआई के अधिकारियों ने की कार्रवाई


भुवनेश्वर, 31 दिसंबर. राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 3.93 करोड़ रुपये मूल्य की 3.93 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जल की.

डीआरआई द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने बैंकों से आए एक भारतीय यात्री को रोका और उसके सामान की गहन जांच में हेर

रंग के, गांठदार पदार्थ से भरे चार पैकेट बरामद हुए. चार पैकेटों में से दो को काले पॉलीथीन में लपेटकर गत्ते के चांकलेट पैकेटों के अंदर छिपा दिया गया था जबकि शेष दो पैकेटों को मुख्य सामान में लगे नकली तलों में छुपाया गया था. तस्करी के सामान को पेंस्ट बनाकर हाइड्रोपोनिक प्रेस का उपयोग कर कृत्रिम डिब्बे में रखा गया था. अधिकारियों ने उसे खोलकर बरामद कर लिया है. प्रारंभिक जांच में पदार्थ की पहचान भांग के रूप में हुई और कुल मिलाकर 3.93 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई. बयान के अनुसार, यात्री को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है.

## युवाओं से रुबरु हुए संघ प्रमुख भागवत

रायपुर, 31 दिसंबर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने बुधवार को राजधानी रायपुर में कहा है कि मौजूदा दौर में विकास की दिशा पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है. ऐसा कोई मॉडल अब तक सामने नहीं आया है, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और पर्यावरण संरक्षण बिना टकराव के साथ-साथ आगे बढ़ सके. ऐसे में समाज को संतुलित और टिकाऊ विकल्पों की ओर बढ़ना ही होगा.



पार्यावरणीय सोच के जारी रही, तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. सरसंघचालक ने कहा कि विकास और प्रकृति को विरोधी मानने के बजाय दोनों का समानांतर और संतुलित विस्तार जरूरी है. इसके लिए केवल नीतियों में बदलाव ही नहीं, बल्कि जीवनशैली में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे.

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे करियर और रोजगार के साथ-साथ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझें और छोटे-छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव की नींव रखें. युवाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर बात करते हुए डॉ. भागवत ने नयी की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि आज का युवा भीतर से अकेलापन महसूस कर रहा है. परिवारों में सहायकी की कमी और रिश्तों में भावनात्मक दूरी के कारण मोबाइल और नशा युवाओं के लिए आसान विकल्प बनते जा रहे हैं. उन्होंने परिवार के भीतर संवाद और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होना चाहिए. तो नकारात्मक आदतों की ओर युवाओं का झुकाव स्वतः कम होगा. समाज और परिवार को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा.

## बर्फ की चादर में लिपटी सर्दी



नई दिल्ली, 31 दिसंबर. नया साल 2026 दहलीज पर है और इस बार प्रकृति ने जश्न को और खास बना दिया है. कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी ने पर्यटन स्थलों को सफेद चादर से ढक दिया है. गुलमर्ग, सोनमार्ग, मनाली और रोहतांग जैसे इलाकों में सेलानी बर्फ में मस्ती करते नजर आ रहे हैं. हालांकि मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, लेकिन इसके बावजूद पर्यटकों का उत्साह चरम पर है. नए साल की शुरुआत को यादगार बनाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. नए साल 2026 के स्वागत के साथ देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने मोसम विभाग और माहौल दोनों को रोमांचक बना दिया है. जम्मू-कश्मीर की घाटी में बर्फबारी दर्ज की गई, जो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर मानी जा रही है. उत्तरी कश्मीर के गुरेज, गुलमर्ग, मन्डिबल

और कुपवाड़ा जैसे इलाकों में बर्फ गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से कुछ अधिक बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, 24 घंटों में किसी बड़े हिमपात की संभावना नहीं है, लेकिन रुक-रुक कर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए कर्मचारियों और मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा है. वहीं, कश्मीर इस समय 'चिल्ला-ए-कला' के दौर से गुजर रहा है, जो 40 दिनों की भीषण ठंड का समय होता है. दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश में भी नए साल को लेकर जबरदस्त चहल-पहल है. मौसम विभाग ने शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों, लाहौल-स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुल्लू और कांगड़ा में बर्फबारी की संभावना जताई है. मनाली, सोलंग घाटी और रोहतांग पास में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. होटलों के लगभग सभी कमरे पहले से बुक हैं और हजारों वाहन पहाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और वडोदरा से आए सैलानी बर्फबारी की उम्मीद में खासे उत्साहित हैं. बच्चों से लेकर युवाओं तक, हर कोई सफेद चादर में मस्ती करने का इंतजार कर रहा है. हालांकि भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह सतर्क हैं.

## आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) (CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेम्पेट, चेन्नई-600031 फोन : +914445644000, फेक्स : +914445644022

वित्तीय आदिष्टियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उपायकताओं और सह-उपायकताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उपायकताओं और सह-उपायकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय तथा का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित विधियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	96889729	संपत्ति के बटले ऋण	06.12.2025	4,87,792.67/-

उपायकताओं और सह-उपायकताओं के नाम: 1. मेहरबाब सिंह 2. मन्ना कुंवर

संपत्ति का पता: मकान संख्या 104 का वह पूरा प्लॉट, कुल क्षेत्रफल 22 x 40 = 880 वर्ग फुट, जो भूमि सर्वेक्षण संख्या 38 1, ग्राम: झंजाखेड़ी, लोक निर्माण संख्या 10, वार्ड संख्या 07, तहसील: नागाव, जिला: उज्जैन, मध्य प्रदेश-456440 में स्थित है, और जिनकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: सड़क, पश्चिम: कान्त सिंह, उत्तर: प्रहलाद सिंह, दक्षिण: सज्जन सिंह।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए उक्त उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एएसआरएफईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होगा. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है), इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पड़े या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/ - प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: 01.01.2025 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) स्थान: उज्जैन

**PAPER PUBLICATION**  
**In the Debts Recovery Tribunal, Jabalpur**  
 (Jurisdiction Madhya Pradesh & Chhattisgarh)  
 2nd & 3rd Floor, Sanchar Vikas Bhawan (BSNL Building), Near Head Post Office, Residency Road, South Civil Lines Jabalpur (M.P.) 482001  
 (Summons under Sub-Section 4 of Section 19 of the Act read with Sub-rule 2A of Rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules 1993.  
**ORIGINAL APPLICATION NO.421 OF 2025**  
**UNION BANK OF INDIA** ..... APPLICANT  
**VERSUS**  
**SHRI SIDDHANATH TEXTILES & ANR** ..... RESPONDENTS  
 1. Shri Siddhanath Textile through its proprietor Mrs. Narmada Arya w/o Mr. Arvind Kumar Address: 1. 98, Readymade Complex, Pardishipura, Indore, M.P., 452001  
**ALSO AT:** 111, Ambe Nagar, Ganesh Mandir, Sukhliya, Indore, M.P.  
 2. Mrs. Narmada Arya w/o Mr. Arvind Kumar Address 83/4, Ganesh Nagar, Pardishipura, Indore M.P. 452003  
 Whereas **Original Application No. 421 of 2025** was listed before the Hon'ble Presiding Officer on **06/06/2025**.  
 Whereas the Hon'ble Tribunal is pleased to issue Summons/ Notice on the said Application under Section 19(4) of the Act. OA filed against you for recovery of debts of **23,78,999.28/- (RUPEES TWENTY-THREE LAKHS SEVENTY-EIGHT THOUSAND NINE HUNDREDE NINETY-NINE AND TWENTY-EIGHT PAISE ONLY)**, Plus Interest at Contractual rates, penal interest & charges.  
**In accordance with the Sub-Section 4 of Section 19 of the Act, you Defendants are directed as under:-**  
 i) To show cause within 30 days (thirty) of service of summons as to why relief prayed for should not be granted.  
 ii) To disclose particulars of properties or Assets other than the Properties and Assets specified by the Applicant under serial No. 3A of Original Application.  
 iii) You are restrained from dealing with or disposing of Secured Assets or such other Assets and properties under Serial No. 3A of the Original application, pending hearing and disposal of the Application for attachment of Properties.  
 iv) You shall not transfer by way of Sale, Lease or otherwise, except in the ordinary Course of business any of the Assets under which Security Interest is created and/or other Assets and Properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the Original Application Without the prior approval of the Tribunal.  
 v) You shall be liable to account for sale Proceeds realised by Sale of Secured Assets or OTHER ASSETS AND PROPERTIES in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with Bank holding Security interest over such assets.  
 vi) You are also directed to file the Written Statement with the copy thereof furnished to the Applicant and to appear before the Hon'ble Tribunal at Jabalpur on **28/01/2026 at 10.30 AM**, failing which the Application Shall be heard and decided in your absence.  
 Given under my hand and Seal of this Tribunal on this **27th day of Nov. 2025**.  
**Authorised Officer**  
**DRT Jabalpur**

**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**  
**आधिपत्य की जाहिर सूचना (अचल/चल संपत्तियां बावत)**  
 क्षेत्रीय कार्यालय: प्लॉट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, रस्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दीर  
 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निम्न हस्ताक्षरप्राप्ति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आदिष्टियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों का प्रवर्तन करने के निम्न ऋणगुहियों को से मांग सूचना की दिनांक से 60 दिनों की समायाधि में ऋण राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगुहियों ने अदायगी में नूती की है अतः ऋणगुहियों एवं जमानतदारों तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित संपत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) संपत्ति उपरोक्त निम्नानुसार के नियम 8 के अंतर्गत दिनांक को सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है ऋणगुहियों को विवेचित: तथा समस्त जनता को साधारणतः सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करें यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऋणगुहियों और समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के धारा (13) की अधीन होगा।  
**अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार बंधक संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।**

क्र.	शाखा का नाम	ऋणियों/जमानतदारों के नाम	मांग सूचना दिनांक धारण दिनांक	अचल संपत्तियों का विवरण	₹ बकाया राशि
1	एयरपोर्ट रोड शाखा, इन्दीर	श्री महेन्द्र मण्डलौई एवं श्रीमती रवेता मण्डलौई	22.10.25 31.12.25	प्लॉट नं. वीबी-08, ट्रेजर विहार, ग्राम बिजलपुर, एमआर-3, चौधुधराम चोगाहा के पास, ए.बी. रोड, इन्दीर पर स्थित रहवासी मकान का सामूहिक बंधक, क्षेत्रफल: 116.205 वर्गमीटर, मालिक: श्री महेन्द्र मण्डलौई पिता राधेश्याम मण्डलौई, वर्तु:सीमा: उत्तर: प्लॉट नं. वीबी-07, दक्षिण: प्लॉट नं. वीबी-09, पूर्व: खुली जगह, पश्चिम: 6 मीटर चौड़ी सड़क	58,96,250.00 + ब्याज एवं अन्य बर्ष - वसूली, अगर कोई
2	संयोगिता गंज शाखा, इन्दीर	एजीएस पेकवेल, प्रो.: श्रीमती किरण सोनी	22.10.25 30.12.25	सर्वे नं. 93/4/2 का भाग, ग्राम मंसालय, तहसील राज (महू) एवं जिला इन्दीर पर स्थित टिन शेड, ओद्योगिक एवं खनन उद्देश्य के लिए परिवर्तित की गई भूमि, क्षेत्रफल: 0.046 हेक्टर का सामूहिक बंधक, मालिक: श्रीमती किरण सोनी पति अतुल सोनी, रजिस्टर्ड सेल डीडी नं. MP179092024A1270574 दिनांक 01.03.2004 के अनुसार सब-रजिस्ट्रार ऑफिस इन्दीर में रजिस्टर्ड, वर्तु:सीमा: उत्तर: पूरण एवं मंश की भूमि, दक्षिण: इसी भूमि की शेष भूमि, पूर्व: कच्यो कॉमन रोड, पश्चिम: डिजील मेटल सर्वेक्षण प्रा. लि. की प्राइवेट भूमि	46,67,982.97 + ब्याज एवं अन्य बर्ष - वसूली, अगर कोई
3	मोती तबेला शाखा, इन्दीर	मेसर्स आयुष पैकेजिंग, प्रो.: श्री आयुष अग्रवाल पिता संतोष अग्रवाल	22.10.25 26.12.25	सर्वे नं. 44/3 पर स्थित ओद्योगिक उद्देश्य के लिए परिवर्तित की गई भूमि, ग्राम बागोडी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) पर स्थित का सामूहिक बंधक, क्षेत्रफल: 0.114 हेक्टर यानी 1140 वर्गमीटर, मालिक: श्री आयुष अग्रवाल पिता संतोष अग्रवाल, रजिस्टर्ड सेल डीडी नं. MP119002019A1004984 दिनांक 02.01.2019 के अनुसार ज्वाइंट रजिस्ट्रार धार में रजिस्टर्ड, वर्तु:सीमा: उत्तर: किशोर पिता गोपाल खाती की भूमि, दक्षिण: रमेश पिता गणपत खाती की भूमि, पूर्व: ग्राम बागोडी रोड, पश्चिम: रमेश पिता गणपत खाती की भूमि	83,20,039.17 + ब्याज एवं अन्य बर्ष - वसूली, अगर कोई

स्थान: इन्दीर, दिनांक: 01.01.2026 प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

## कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

सि.टी./पी.टी. निविदा सूचना दिनांक: 29.12.2025

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

श्रुप क्र.	1. ठेकर क्र. 2. जारी दिनांक	कार्य का नाम	1. कार्य की समायाधि 2. लागत	1. निविदा प्रपत्र का मूल्य 2. ई.ए.पी.	1. निविदा की अंतिम तिथि
01	2025_UAD-471585-29.12.2025	स्वच्छता सर्वेक्षण झोन क्र. 03 वार्ड क्र. 57 के अंतर्गत आने वाले सी.टी./पी.टी. एवं मूडालयों में आवश्यक संधारण कार्य करना।	4 माह ₹19,97,110/-	₹2,000/- ₹15,000/-	28-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 29-01-2026
02	2025_UAD-471587-29.12.2025	झोन क्र. 11 वार्ड क्र. 60 के अंतर्गत सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों में आवश्यक मरम्मत कार्य करना।	4 माह ₹16,10,471/-	₹2000/- ₹12,100/-	28-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 29-01-2026
03	2025_UAD-471589-29.12.2025	स्वच्छता सर्वेक्षण झोन क्र. 03 वार्ड क्र. 58 के अंतर्गत आने वाले सी.टी./पी.टी. एवं मूडालयों में आवश्यक संधारण कार्य करना।	4 माह ₹17,05,762/-	₹2,000/- ₹12,800/-	28-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 29-01-2026
04	2025_UAD-471591-29.12.2025	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 20 के अंतर्गत स्थित सार्वजनिक शौचालय एवं मूडालयों में आवश्यक संधारण कार्य करना।	4 माह ₹15,09,896/-	₹2,000/- ₹11,400/-	28-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 29-01-2026
05	2025_UAD-471592-29.12.2025	झोन क्र. 15 वार्ड क्र. 71, 72 के अंतर्गत आने वाले समस्त सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों एवं मूडालयों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 के दिशा-निर्देशों अनुसार समस्त कार्य करना।	3 माह ₹7,68,330/-	₹2,000/- ₹7,700/-	13-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 14-01-2026
06	2025_UAD-471594-29.12.2025	स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत झोन क्र. 18 वार्ड क्र. 63 के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों में आवश्यक संधारण/मरम्मत एवं संधारण कार्य करना।	3 माह ₹9,72,935/-	₹2,000/- ₹9,800/-	13-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 14-01-2026
07	2025_UAD-471595-29.12.2025	स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु झोन क्र. 08 वार्ड क्र. 30 के अंतर्गत स्थित सामुदायिक शौचालय/मूडालयों में आवश्यक संधारण कार्य करना।	3 माह ₹8,67,194/-	₹2,000/- ₹8,700/-	13-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 14-01-2026
08	2025_UAD-471597-29.12.2025	झोन क्र. 14 वार्ड क्र. 82, 84, 85 के अंतर्गत सी.टी./पी.टी. एवं अन्य स्थित के समूह संधारण कार्य हेतु।	3 माह ₹4,57,222/-	₹2,000/- ₹4,600/-	13-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 14-01-2026
09	2025_UAD-471598-29.12.2025	झोन क्र. 16 वार्ड क्र. 14 के अंतर्गत स्थित सार्वजनिक शौचालय/मूडालयों में आवश्यक संधारण कार्य करना।	3 माह ₹5,32,785/-	₹2,000/- ₹5,400/-	13-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 14-01-2026
10	2025_UAD-471599-29.12.2025	झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 49 के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक शौचालयों में आवश्यक संधारण कार्य करना।	3 माह ₹5,13,506/-	₹2,000/- ₹5,200/-	13-01-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 14-01-2026

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन <https://mptenders.gov.in> की वेबसाइट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यालय यंत्री सी.टी./पी.टी. नगर पालिक निगम, इन्दीर

प्रतिबंधित पॉलीथीन, कैरीबैग के निर्माण/विकस/उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।